न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रकरण संख्या 09 /2017

प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हलका
भाखरपुरा

श्री दीपा वल्द जवाना
कौम - कल्बी
ग्राम खारवा (भला की ढाणी)
तह. गुडामालानी
दिनांक - 28.08.17

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. पटवारी हलका भाखरपुरा

2. अप्रार्थी श्री दीपा

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार हैं । पटवारी हलका भाखरपुरा ने न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थी /अप्रार्थीगण ने सरहद मौजा खारवा .... सरकारी भूमि ख.नं. 491/73 कुल रकबा ......123........ किस्म गै. मु. गोचर मेंसे ...... 3.18.... दीपा भूमि पर ...बाड़ बनाकर......... अनाधिकृत कब्जा किया हैं , अतः इन्हे बेदखल किया जावे । अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी /अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया ।अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर आया , जिसे शामिल पत्रावली किया गया । सर्कल परिवर्तन होने से पत्रावली न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी से स्थान्तरित होकर इस न्यायालय के प्राप्त हुई हैं । प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी /विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

नियत तारीख पेशी दिनांक 28.08.17...... को प्रार्थी पटवारी हलका तथा अप्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित , अप्रार्थी /अप्रार्थीगण ने जबाब पेश नहीं किया तथा जबाब पेश नहीं करना चाहता, उक्त भूमि पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया , अतः अप्रार्थी /अप्रार्थीगण की शहादत बन्द की जाती हैं ।

प्रार्थी पटवारी हलका ने अप्रार्थी /अप्रार्थीगण को बेदखल करने तथा दडित करने का निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 11:36:59 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा अवलोकन कि[illegible] त भूमि पर अप्रार्थी /अप्रार्थीगण के अतिक्रमण की पुष्टि होती है अतः अप्रार्थी /[illegible] अतिक्रमी घोषित किया जाता हैं तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 [illegible] प्रदत्त शक्तियों [illegible]योग करते हुए अप्रार्थी /अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने के आ[illegible] दिये जाते हैं । [illegible]के पर फसल खडी हो तो नष्ट कर दी जावे। लगान ....5.61...... रूपये का बीस गुणा 112.20... अक्षरे रूपये ......

एक सौ बारह .... शास्ति जुर्माना आरोपित की जाती हैं , जो वसूल हो । जुर्माना मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तथा जुर्माना वसूली तथा बेदखली हेतु पटवारी हलका सूचित हो ।

निर्णय दिनाक 28.08.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया , पत्रांवली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । बाद तामिल दफतर दाखिल हो ।

(जोधसिंह)

तहसीलदार गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 11:56:59 IST
Reason: SelfAttested